फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

गोविन्द कंवर बनाम रूपा वगै०

मुकदमा नम्बर :- 167/99/07 — वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		अन्तिम दिनांक 03/7/24 को पेश हो। sd-
	3/7/24	प: वादी उप० अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से वादीगण का वाद साबित रूप से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। sd

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:38:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :–रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–167/99/07

उनवान

1. मु. गोविन्द कंवर (मृतक दौराने दावा)
2. सबल सिंह पुत्र स्व0 श्री हनुतदान (मृतक दौराने दावा)
   2/1. राजु कंवर पत्नी स्व0 सबल सिंह
   2/2. जीवराज सिंह पुत्र स्व0 सबल सिंह
   2/3. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सबल सिंह
   2/4. प्रकाश कंवर पुत्री स्व0 स्व0 सबल सिंह
   2/5. औमकंवर पुत्री स्व0 सबल सिंह
3. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. श्री हनुतदान
4. हिंगलाजदान पुत्र प्रतापदान (मृतक दौराने दावा)
   4/1. मंगेज कंवर पत्नी स्व0 हिंगलाजदान
   4/2. रामसिंह पुत्र स्व0 हिंगलाजदान
   4/3. रमेश सिंह पुत्र स्व0 हिंगलाजदान
   4/4. कमला कंवर पुत्री स्व0 हिंगलाजदान
   4/5. प्रकाश कंवर पुत्री स्व0 हिंगलाजदान
   4/6. ओमकंवर पुत्री स्व0 हिंगलाजदान
5. करणी सिंह पुत्र श्री बिरजु सिंह
6. मु. रामकंवर पत्नि श्री बिरजु सिंह

   समस्त जाति चारण, निवासीयान ग्राम चारणवास (आलीसर), तह चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. रुडा पुत्र त्रिलोक
2. भागीरथ पुत्र गोपी
3. जगदीश पुत्र रामदेव

   समस्त जाति अहीर, निवासीयान ग्राम चारणवास (आलीसर), तह चौमूं, जिला जयपुर।
4. शीशदान पुत्र स्व0 हनुतदान (मृतक दौराने दावा)
   4/1. फतेहकंवर पत्नि स्व0 शीशदान
   4/2. सहदेव पुत्र स्व0 शीशदान
   4/3. विमला पुत्री स्व0 शीशदान
   4/4. सुमन पुत्री स्व0 शीशदान
   4/5. सुप्यार पुत्री स्व0 शीशदान
5. वासुदेव पुत्र स्व0 श्री हनुतदान

   समस्त जाति चारण, निवासीयान ग्राम चारणवास (आलीसर), तह चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kaur
Date: 2024.09.11 16:38:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188
निर्णय

निर्णय दिनांक :–03.07.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम चारणवास पटवार हल्का आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थित खाता संख्या 53 की आराजीयात खसरा नम्बर 104 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.03 हैक्टेयर (गैर मुमकिन बाडा), खसरा नम्बर 142 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 9 का कुल रकबा 1.63 हैक्टेयर भूमि इस वाद में वादग्रस्त है। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 के सहखातेदारी अधिकारों एवं सह–कब्जेकाश्त की आराजीयात है जहां वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 निर्बाध रुप से काबिज काश्त हो उनका हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं एवं लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 की फसल है एवं खसरा नम्बर 139 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 के खामघर बने हुए है एवं नींव भर पुख्ता दीवार नये भवन हेतु बना रहे हैं। जहां वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 की रिहायश है एवं खसरा नम्बर 141 में बाडा है जहॉ वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 पशुधन रखते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जो कि इलाके के भूमाफिया लोग है का वादग्रस्त आराजीयात से कोई लेना–देना नहीं है किन्तु वे जबरिया वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हो जाना चाहते है जिसका कि उन्हे कोई भी अधिकार नहीं हैं। दिनांक 18.04.2007 को प्रतिवादीगण ने एकराय होकर वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होने एवं मौके के पास निर्माण सामग्री के साधन व गुण्डे ला वहां पुख्ता निर्माण की पुरजोर कौशिश की तथा वे अब भी मौक पर कब्जा करने व इस आशय से निर्माण करवा लेने पर आमादा हैं, अतः यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जे व खर्चे के डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश नहीं करें, न वहां से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 को बेदखल करने की कोई कार्यवाही करें, न वहां कोई खाम करें, न इस आशय से वहां कोई खाम या पुख्ता निर्माण करवायें न निर्माण सामग्री इकट्ठा करें तथा वादग्रस्त आराजीयात के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 के उपयोग व उपभोग में कोई मजाहमत एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kaur
Date: 2024.09.11 16:38:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मदखलात पैदा नहीं करें न उक्त समस्त कृत्य अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन या परिवारजन के जरिए करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश टेलर ने अपना वकालतनामा पेश किया। वादीगण का साक्ष्य बन्द हो चुके है। बहस सुनी गई। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादीगण का वाद आंशिक रुप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्द किया जावें।

अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:38:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी :–रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

1. मु. गोविन्द कंवर (मृतक दौराने दावा)
2. सबल सिंह पुत्र स्व0 श्री हनुतदान (मृतक दौराने दावा)
   2/1. राजु कंवर पत्नी स्व0 सबल सिंह
   2/2. जीवराज सिंह पुत्र स्व0 सबल सिंह
   2/3. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सबल सिंह
   2/4. प्रकाश कंवर पुत्री स्व0 स्व0 सबल सिंह
   2/5. औमकंवर पुत्री स्व0 सबल सिंह
3. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. श्री हनुतदान
4. हिंगलाजदान पुत्र प्रतापदान (मृतक दौराने दावा)
   4/1. मंगेज कंवर पत्नी स्व0 हिंगलाजदान
   4/2. रामसिंह पुत्र स्व0 हिंगलाजदान
   4/3. रमेश सिंह पुत्र स्व0 हिंगलाजदान
   4/4. कमला कंवर पुत्री स्व0 हिंगलाजदान
   4/5. प्रकाश कंवर पुत्री स्व0 हिंगलाजदान
   4/6. ओमकंवर पुत्री स्व0 हिंगलाजदान
5. करणी सिंह पुत्र श्री बिरजु सिंह
6. मु. रामकंवर पत्नि श्री बिरजु सिंह

समस्त जाति चारण, निवासीयान ग्राम चारणवास (आलीसर), तह चौमूं, जिला जयपुर।
–वादीगण

बनाम

1. रुडा पुत्र त्रिलोक
2. भागीरथ पुत्र गोपी
3. जगदीश पुत्र रामदेव

समस्त जाति अहीर, निवासीयान ग्राम चारणवास (आलीसर), तह चौमूं, जिला जयपुर।

4. शीशदान पुत्र स्व0 हनुतदान (मृतक दौराने दावा)
   4/1. फतेहकंवर पत्नि स्व0 शीशदान
   4/2. सहदेव पुत्र स्व0 शीशदान
   4/3. विमला पुत्री स्व0 शीशदान
   4/4. सुमन पुत्री स्व0 शीशदान
   4/5. सुप्यार पुत्री स्व0 शीशदान
5. वासुदेव पुत्र स्व0 श्री हनुतदान

समस्त जाति चारण, निवासीयान ग्राम चारणवास (आलीसर), तह चौमूं, जिला जयपुर।
–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:38:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नं0:–167/99/07

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादीया मिनजामिन मुददई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्द किया जावें।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 03.07.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....

ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	1	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	0
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा	
5. खर्चा गवाहन		5. खर्चा गवाहन	
6. फीस कमिश्नर		6. फीस कमिश्नर	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
8.मुतफरिक		7.मुतफरिक	
जोड़	3	जोड़	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:38:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner